

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/निस/अति.आ.(एलपीसी)/2016/डी-659 दिनांक: 26.9.16

उपायुक्त जोन...
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

विषय: रियायती दर पर आवंटित की गई भूमि की शर्तों की पालना एवं समयबद्ध निगरानी हेतु गठित कमेटी के सम्बन्ध में।

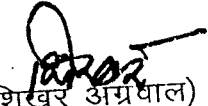
राजस्थान नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 (दिनांक 26.9.2015) के बिन्दु संख्या 7.6 में रियायती दर पर आवंटित की गई भूमि की शर्तों की पालना एवं निगरानी का समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने हेतु जविप्रा हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की गई है:-

- | | |
|---|---------|
| 1. सम्बन्धित जोन उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. सहायक अभियन्ता | सदस्य |
| 3. तहसीलदार | सदस्य |
| 4. सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी) | सदस्य |

इसी नीति के बिन्दु संख्या 7.8 के अनुसार उपरोक्त कमेटी रियायती दर पर भू-आवंटन के प्रत्येक प्रकरण में भूमि का भौतिक रूप से त्रै-मासिक निरीक्षण करेंगी, जिसमें सुनिश्चित किया जावेगा कि भूमि का उपयोग सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं तथा शर्तों की पालना की जा रही है अथवा नहीं और यदि आंशिक पालना की गई है, तो किन किन शर्तों की पालना शेष है एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि आवंटित की गई भूमि का निर्धारित किये गये उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं हो रहा है एवं आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की जा रही है, तो नीति के बिन्दु संख्या 7.9 के अनुसार 3 माह की अवधि में सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध भूमि के आवंटन एवं लीज डीड को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

इसी प्रकार उपरोक्त नीति के बिन्दु संख्या 7.7 में रियायती दर पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में एक रजिस्टर संधारित किये जाने के निर्देश है। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप उपरोक्त वर्ष 2015 की भूमि आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 7.6 से 7.9 (फोटो प्रति संलग्न) के प्रावधानों के अनुसार आपके क्षेत्राधिकार में स्थित रियायती दर पर भूमि आवंटन के सभी प्रकरणों का एक बार भौतिक सत्यापन दिनांक 31.10.2016 तक आवश्यक रूप से कर ले तथा

114
तत्पश्चात् प्रत्येक 3 माह में भौतिक निरीक्षण करने एवं रिपोर्ट देना सुनिश्चित
करे। भौतिक निरीक्षण की रिपोर्ट दिनांक 31.10.2016 तक नोडल अधिकारी
श्री खजान सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) को उपलब्ध करवा दी जावे।
संलग्न: उपरोक्तानुसार


(शिखर अग्रवाल)
जयपुर विकास आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, जविआयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री खजान सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी), जविप्रा जयपुर।
4. संयुक्त आयुक्त (आरएमसी), जविप्रा, जयपुर।


(पवन अरोड़ा)
सचिव